"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2002—अग्रहायण 22, शक 1924

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं आर. आर. हिंगोले (राजाराम हिंगोले) विद्युतकार सहा. प्रशि. अधिकारी (वरिष्ठ) औ. प्र. संस्था, डौंडी-लोहारा, जिला दुर्ग अपना नाम परिवर्तन कर आर. बी. खाण्डे (राजाराम भीमाजी खाण्डे) कर लिया हूं. अतः मुझे भविष्य में आर. बी. खाण्डे के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

राजाराम हिंगोले
विद्युतकार सहा. प्रशि. अधिकारी
(वरिष्ठ) औ. प्र. संस्था, डौंडी-लोहारा
जिला-दुर्ग, (छ. ग.)
491-771

नया नाम

राजाराम खाण्डे
विद्युतकार सहा. प्रशि. अधिकारी
(वरिष्ठ) औ. प्र. संस्था, डौंडी-लोहारा
जिला-दुर्ग, (छ. ग.)
491-771

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं भुवनलाल सतनामी, उप-यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग कोटा अपना उपनाम परिवर्तन कर भुवनलाल खण्डेल कर लिया हूं. अतः मुझे भविष्य में भुवनलाल खण्डेल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
भुवनलाल सतनामी उप-यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग-कोटा, जिला बिलासपुर (छ. ग.)	भुवनलाल खण्डेल उप-यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग-कोटा, जिला बिलासपुर (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव (छ. ग.)

क्रमांक/उपंरा/परि./2001/372.—"फौजी विश्रांति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., राजनांदगांव" पंजीयन क्रमांक 334 दिनांक 9-1-96 को म. प्र. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./2001/168, दि. 6-2-2001 के द्वारा सहकारिता विस्तार अधिकारी, राजनांदगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, हितेश दोशी, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "फौजी विश्रांति गृह निर्माण सहकारी समिति, मर्या., राजनांदगांव" पं. क्र. 334, दि. 9-1-96 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/959.—"शांति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव" पंजीयन क्रमांक 63 दिनांक 19-10-79 को म. प्र. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 654 दिनांक 12-3-86 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, राजनांदगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, हितेश दोशी, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "शांति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., राजनांदगांव पं. क्र. 63", दिनांक 19-10-79 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1104.—"मां शीतला सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., राजनांदगांव पं. क्र. 373" को छ. ग. सह. सोसा. अधि., 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./831, दिनांक 23-7-2002 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, राजनांदगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, हितेश दोशी, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "मां शीतला सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्यादित, राजनांदगांव पं क्र. 373" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

हितेश दोशी,
उप-रजिस्ट्रार.

क्र./उपंरा/परि./2002/340.—"दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोहका" पं. क्र. 212 दिनांक 8-5-91 को म. प्र. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1058 दिनांक 2-7-96 के द्वारा प्रबंधक, शासकीय दुग्ध प्रदाय योजना, राजनांदगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोहका" पं. क्र. 212 दिनांक 8-5-91 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक उपंरा/परि./2002/341.—"तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तुमड़ीबोड़" पं. क्र. 375 दिनांक 27-4-98 को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1724, दिनांक 21-9-2000 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सह. संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तुमड़ीबोड़" पं. क्र. 375 दिनांक 27-4-98 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/342.—"प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., चिल्हाटी" पं. क्र. 259, दिनांक 7-12-91

को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/2000/160 दिनांक 5-2-2001 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, चौकी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिससे मैं सहमत हूं, और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, संहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., चिल्हाटी" पंजीयन क्रमांक 259 दि. 7-12-91 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/343.—"प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., डोंगरगांव" पं. क्र. 1748 दिनांक 4-12-68 को म. प्र. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./85/2972 दिनांक 29-11-85 के द्वारा सह. विस्तार अधिकारी, डोंगरगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., डोंगरगांव" पंजीयन क्रमांक 1748 दिनांक 4-12-68 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/354.—"शासकीय कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., छुईखदान" पंजीयन क्रमांक 1927 दिनांक 24-12-65 को म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./3025 दिनांक 22-12-72 के द्वारा सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "शासकीय कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., छुईखदान" पं. क्र. 1927, दि. 24-12-65 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/359.—"मां गंगई धान सहकारी भंडार मर्या., ठाकुरटोला" पं. क्र. 1525, दि. 14-4-60 को म. प्र. सह. सोसा. अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/1066 दिनांक 19-4-76 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं

अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं, और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी., दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "मां गंगई धान सहकारी भंडार मर्या., ठाकुरटोला" पं. क्र. 1525 दिनांक 14-4-1960 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/358.—"जनहित सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., छुईखदान" पं. क्र. 1944, दिनांक 25-4-63 को म. प्र. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंरा/परि./3036, दिनांक 22-12-77 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह/एम. सी. दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "जनहित सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., छुईखदान" पं. क्र. 1944, दिनांक 25-4-63 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/353.—"मां गंगई ईंट कवेलू औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., देवपुरा (गंडई)" पंजीयन क्रमांक 70 को म. प्र. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/1687 दि. 28-10-95 से सहकारिता विस्तार अधिकारी छुईखदान को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सह. संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "मां गंगई ईंट कवेलू औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., देवपुरा (गंडई)" पंजीयन क्रमांक 70 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/357.—"मड़ियान जलाशय कृषक सहकारी समिति मर्या., लालबहादुर नगर" पं. क्र. 335 दिनांक 24-1-96 को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./1726 दिनांक 21-9-2000 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति

क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "मड़ियान जलाशय कृषक सहकारी समिति मर्या., लालबहादुर नगर" पं. क्र. 335, दिनांक 24-1-96 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/356.—"दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, बेलगांव" पं. क्र. 52 को म. प्र. सह. संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1326 दिनांक 5-8-96 से प्रबन्धक, शास. दुग्ध प्रदाय योजना राजनांदगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "दुग्ध सहकारी समिति मर्या. बेलगांव" पं. क्र. 52 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/378.—"अन्नपूर्णा सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., उरईडबरी" पं. क्र. 9 (नौ) को म. प्र. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./4485, दिनांक 1-9-76 से सह. विस्तार अधिकारी डोंगरगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सह. सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी., दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "अन्नपूर्णा सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., उरईडबरी" पं. क्र. 9 (नौ) का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/370.—"गायत्री श्रम सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरगढ़" पं. क्र. 324 को छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./1728, दिनांक 21-9-2000 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारिता सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सह. सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी., दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "गायत्री श्रम सहकारी समिति मर्या., डोंगरगढ़" पं. क्र. 324 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/373.—"कंबल बुनकर सहकारी समिति मर्या., अतरिया" पं. क्र. 71 को म. प्र. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1689, दिनांक 28-10-95 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सह. सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99-पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "कंबल बुनकर सहकारी समिति मर्या., अतरिया" पं. क्र. 71 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/374.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, मुंजाल पं. क्र. 257, दिनांक 7-12-91 को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./155 दिनांक 5-2-2001 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, चौकी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सह. सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी., दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., मुंजाल" पं. क्र. 257, दिनांक 7-12-91 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/375.—"दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बरबसपुर" पं. क्र. 295, दि. 9-11-93 को छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1719, दिनांक 21-9-2000 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सह. सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरबसपुर" पं. क्र. 295 दिनांक 9-11-93 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/377.—"दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, सण्डी" पंजीयन क्रमांक 297, दिनांक 9-11-93 को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/1720, दिनांक 21-9-2000 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम,

1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ''दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, सण्डी'' पंजीयन क्रमांक 297 दिनांक 9-11-93 का पंजीयन निरस्त करता हू और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/376.—''मां गंगई ईंधन पूर्ति श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, गण्डई'' पं. क्र. 331 दिनांक 6-11-95 को छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./1722, दिनांक 17-10-2000 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सह. सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ''मां गंगई ईंधन पूर्ति श्रमिक सहकारी समिति मर्या., गंडई'' पं. क्र. 331, दिनांक 6-11-95 का पंजीयन निरस्त करता हू और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/390.—''आदर्श साबुन ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्या., पद्मावतीपुर'' पं. क्र. 15, दिनांक 5-1-77 को म. प्र. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./951, दिनांक 28-4-83 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सह. सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी., दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ''आदर्श साबुन ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्या., पद्मावतीपुर'' पं. क्र. 15 दिनांक 5-1-77 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/392.—''आदिवासी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या, मानपुर'' पंजीयन क्रमांक 74 दिनांक 7-5-91 को म. प्र. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1070 दिनांक 2-7-96 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, मानपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सह. सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने

हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी., दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ''आदिवासी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मानपुर'' पं. क्र. 74 दिनांक 7-5-91 का पंजीयन निरस्त करता हूं और सस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/391.—''आदर्श बांस वस्तु निर्माण सहकारी समिति मर्या., कोसमी'' पं. क्र. 85 को म. प्र. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1210, दिनांक 27-7-94 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, मानपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत '''आदर्श बांस वस्तु निर्माण सहकारी समिति मर्या., कोसमी'' पं. क्र. 85 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/389.—''दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिटाल'' पं. क्र. 202, दिनांक 7-5-91 को म. प्र. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1576, दिनांक 29-9-98 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुरिया को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सह. सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन को निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99/पन्द्रह-एम. सी., दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ''दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बिटाल'' पं. क्र. 202, दि. 7-5-91 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/387.—''दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, आतरगांव'' पं. क्र. 203 दिनांक 7-5-91 को म. प्र. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1067, दि. 2-7-96 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुरिया को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सह. सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी., दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत ''दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आतरगांव'' पं. क्र. 203, दि. 7-5-91 का

पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/388.—"दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मासूल" पं. क्र. 204, दिनांक 7-5-91 को म. प्र. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1577 दिनांक 29-9-98 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुरिया को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सह. सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26-7-99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., मासूल पं. क्र. 204, दिनांक 7-5-91 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/651.—संत कबीर सामूहिक कृषि सहकारी समिति, मर्यादित, नांदिया पं. क्र. 55, दिनांक 2-5-87 को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./2002/95, दिनांक 24-1-2002 से सहकारिता विस्तार अधिकारी डोंगरगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत संत कबीर सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, नांदिया पं. क्र. 55, दिनांक 2-5-87 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 10-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/695.—"डोंगरगढ़ गिट्टी बोल्डर सहकारी समिति मर्या., डोंगरगढ़ पं. क्र. 283 दिनांक 23-9-93" को म. प्र. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./924, दिनांक 25-6-96 से सहकारिता विस्तार अधिकारी डोंगरगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "डोंगरगढ़ गिट्टी बोल्डर सहकारी समिति मर्या., डोंगरगढ़ पं. क्र. 283, दि. 23-9-93" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 7-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. के. ठाकुर,
सहायक रजिस्ट्रार.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.